<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं०–1, वाराणसी।</u>

मुकदमा नम्बर–1925/2019

ई०पी०एफ०ओ० **बनाम** मेसर्स दीन दयाल व अन्य

धारा–14(2) of theEPF & M.P. Act. 1952

थाना–जैतपुरा, वाराणसी।

<u>जुर्म स्वीकारोक्ति बयान मुल्जिम</u>

अभियुक्त– पुत्र– उम्र–

पेशा– निवासी–

थाना– जिला–

प्रश्न सं०–1 यह कि आपके द्वारा कर्मचारियों/कर्मकारों का बैंक खाता नम्बर ई०पी०एफ०ओ० की साइट पर सीड नहीं किया जा रहा था और न ही कर्मचारियों का बैंक खाता का विवरण ई०पी०एफ०ओ० को दे रहे थे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तरः–

प्रश्न सं०–2 क्या आप स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे है?

उत्तरः–

प्रश्न सं०–3 क्या आपको और कुछ कहना है?

उत्तरः–

सुनकर तसदीक किया।

दिनांक–11.01.2024

(शिखा यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं०–1 वाराणसी।
J.O. Code– UP 2252

उपरोक्त मामले में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वेच्छया संस्वीकृति की गयी है। अभियुक्त कथन है कि अभियुक्त एक सीधा–साधा सम्मानित व्यक्ति है। अभियुक्त द्वारा कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त पर कर्मचारियों/कर्मकारों का बैंक खाता नम्बर ई०पी०एफ०ओ० की साइट पर सीड न करने व ई०पी०एफ० के

कर्मचारियों का बैंक खाता का विवरण न दिये जाने का आरोप है। अभियुक्त ने बिना किसी दबाव के अपनी स्वीकृति स्वेच्छा से प्रस्तुत मामले में संस्वीकृति की है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त दीनदयाल को धारा- 14(2) of the EPF & M.P. Act. 1952 के अपराध में 4000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा

<u>आदेश</u>

अभियुक्त दीनदयाल को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा-14(2) of the EPF & M.P. Act. 1952 के अपराध में दोषी पाते हुये, उसके द्वारा 4000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

.

दिनांकः-11.01.2024

(शिखा यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं०-1 वाराणसी।
J.O. Code- UP 2252

आशुलिपिक-पंकज सिंह

Digitally signed by SHIKHA YADAV
Date: 2024.01.17 11:10:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court